न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
534 / 2020	28.10.2020	06.03.2026

बउनवान

1. श्रीलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण (मृतक)
1/1 रमेशचन्द
1/2 सुरेशचन्द
1/3 नरेश कुमार
1/4 दिनेश कुमार
1/5 मोहनलाल गुप्ता
1/6 नरेन्द्र कुमार पुत्रान श्रीलाल उर्फ श्रीराम जाति महाजन निवासी ततारपुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:– वादी

बनाम

1. प्रभूदयाल पुत्र परसराम (मृतक)
1/1 राजकुमार
1/2 कृष्ण
1/3 होशियार
1/4 पूरण
1/5 संजय पुत्रान प्रभूदयाल
1/6 कान्ता देवी
1/7 मान्ता देवी
1/8 बिमला देवी
1/9 सुमन देवी
1/10 टीमा देवी
1/11 कमला देवी
1/12 सुनीता देवी पुत्रीयान प्रभूदयाल जाति जागिड निवासी बेहरोज हाल आबाद ततारपुर चौहाराया तह0 मुण्डावर, अलवर।
2. लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय महो0 मुण्डावर।
3. उप पंजियक महोदय मुण्डावर।

प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक, दूरूस्ती इन्द्राज एवं हु0 ई0 दवामी अन्तर्गत
अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी वकील – श्री पृथ्वीसिंह यादव

सहायक कलक्टर (...)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

वादी ने अपने वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि आराजी हाल खं0 नं0 342 रकबा 0.12 है0, खं0नं0 343 रकबा 0.13 है0, वाके ग्राम रूंध तह० मुण्डावर जिला अलवर में स्थित है। जो आराजी इस वाद में विवादित आराजी कहलायेगी। नकल हाल जमाबन्दी संलग्न है।
2. यह है कि उक्त विवादित आराजी हाल खं0 न0 342 रकबा 0.12 है0 साबिक खं0 नं0 274 रकबा 10 बिस्वा से व हाल खं०नं0 343 रकबा 0.13 है0, साबिक ख0नं0 274 रकबा 7 बिस्वा से व साबिक खं०नं0 275 का रकबा 2 बिस्वा से मिलकर सैटलमेंट द्वारा पैमूद किया गया है। नकल मिलानक्षेफल संलग्न है।
3. यह है कि आराजी खं०नं0 541/274 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा व ख0 नं0 543/274 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा गफूर पुत्र कालिया तेली के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी रही है। जिस आराजी को मिन वादी ने जर्ये बैयनामा के खरीद किया रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा व ख0 नं0 543/274 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा गफूर पुत्र कालिया तेली के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी रही है। जिस आराजी को मिन वादी ने जर्ये बैयनामा के दिनांक 23/4/1962 को खरीद किया था तथा मिन वादी के नाम जमाबन्दीयात में अंकन दर्ज व मन्जूर हो गया।
4. यह है कि मिन वादी ने दिनांक 15/3/1972 को आराजी खं०नं0 541/274 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा में से 17 बिस्वा आराजी का बेचान जरियें रजिस्टेड बैयनामा के प्रतिवादी सं0 1 को कर दिया तथा मौका पर प्रतिवादी सं० 1 को रकबा 17 बिस्वा पर कब्जा दे दिया।
5. यह है कि वक्त सैटलमेंट भू राजस्व कर्मचारियों द्वारा खं0 नं0 541/274 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा से हाल खं0 नम्बरान 342 रकबा 10 बिस्वा व खं0 नं0 343 रकबा 7 बिस्वा व साबिक ख०न० 275 से रकबा 2 बिस्वा से पैमूद कर दिया तथा खं०नं० 541/274 का रकबा 6 बिस्वा को मौका पर खं0 नं0 342 में शामिल कर, खं0 नं0 342 का रकबा कम दर्ज कर दिया।
6. यह है कि सैटलमेंट के बाद, दिनांक 13/06/1975 को राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रतिवादी सं० 1 के नाम का अंकन दर्ज करते समय रकबा 17 बिस्वा के स्थान पर 19 बिस्वा में प्रतिवादी सं० 1 के नाम का अंकन खिलाफ मौका व खिलाफ कानून दर्ज कर दिया तथा मिन वादी के नाम का अंकन हजफ कर दिया। इसलिए मिन वादी खं0 नं0 541/274 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा का रकबा 6 बिस्वा खं०नं0 342 रकबा 0.10 है0, में दर्ज कराकर, आराजी खं०नं0 342 के रकबा 6 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है। इसलिए दावा इश्तकरारहक मय दूरुस्ती पेश करना लाजिमी आया है।
7. यह है कि राजस्व नक्शा ट्रैस में खं०नं0 343 का रकबा कम दर्ज है तथा खं0 नं0 342 का रकबा अधिक है तथा प्रतिवादी सं0 1 ने मिन वादी से आराजी रकबा 17 बिस्वा खरीद करने के बाद, आराजी का रकबा 10 बिस्वा आराजी का बेचान कर दिया है। जिस क्रेता से मिन वादी को कोई रिलीफ नही चाही है। इसलिए केता को पक्षकार नहीं बनाया गया है।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

8. यह है कि मिन वादी आराजी खं0 नं0 541/274 के रकबा 6 बिस्वा पर मौके पर काबिज है तथा काश्त कर रहा है। इसलिए मिन वादी को उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी नहीं हो सकी, लेकिन अब दिनांक 13/7/2015 गलत अंकन के आधार पर मिन वादी की मिलकियत मकबूजा की आराजी पर प्रतिवादी ने जबरन कब्जा कर लिया। जिस पर मिन वादी ने कब्जा नहीं करने की कही तो प्रतिवादी ने गलत इन्द्राज की जानकारी दी तथा कहा कि आराजी राजस्व रिकॉड में तुम्हारे नाम नही है, मैं कब्जा नही छोडूगा और तुझे काश्त नही करने दूंगा। इसलिए मिन वादी, प्रतिवादी को आराजी से बेदखल कराकर, दखल पाने का अधिकारी अधिकारी है। इसलिए दावा दखलयावी पेश किया जाना लाजिमी आया है।

9. यह है कि दिनांक 13/7/2015 को प्रतिवादी द्वारा आराजी पर जबरन कब्जा करने व आराजी में मिन वादी के नाम का अंकन नहीं होने की जानकारी देने पर मिन वादी ने राजस्व रिकॉड की जानकारी लेने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तथा राजस्व रिकॉड की नकल चाही तो उक्त गलत अंकन की जानकारी हुई, जिसकी जानकारी होने पर साबिक रिकॉड की नकूलाय प्राप्त कर, प्रतिवादी सं० 1 व 2 से राजस्व रिकॉड दूरूस्त कराने बाबत कहा तो प्रतिवादीगण ने दिनांक 16/09/2015 को राजस्व रिकॉड दूरुस्त करने से मना कर दिया तथा प्रतिवादी सं0 1 ने ऐलानिया कहा कि मैं आराजी का बेचान कर दूगा तथा तुझे आराजी से बेदखल कर दूगा। बस यही वाद हेतु बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा होती है। यदि वाकई प्रतिवादीगण अपने इन बेजा नापाक इरादों में कामयाब हो गया और आराजी का बेचान कर दिया तो मिन वादीगण को नापूर्ती होने वाली क्षति होगी, जिसकी पूर्ती किसी भी प्रकार से रूपयै पैसों में नहीं आकी जा सकेगी तथा दावा करना ही बैमायना हो जावेगा, चूँकि मिन बादीगण के अधिकार कानून द्वारा रक्षित है। इसलिए मिन वादी अपने अधिकारों की रथार्थ प्रतिवादीगण को हु० ई० दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी है। इसलिए दावा हु० ई० दवामी पेश करना लाजिमी आया है।

10. यह है कि दावा के लिये बिनायदावी व बिनायमुखास्मत दिनांक 13/07/2015 को प्रतिवादी द्वारा आराजी पर जबरन कब्जा करने व दिनांक 16/09/2015 को राजस्व रिकॉड को दूरुस्त कराने से मना करने व ऐलानिया धमकी देने से पैदा होकर से पैदा होकर दावा अन्दर अवधि पेश है।

11. यह है कि दावा इश्तकरारहक का होने के कारण राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार मुण्डावर को पक्षकार बनाया है, व आराजी बेचान का अन्देशा होने के कारण श्रीमान उप पंजियक को पक्षकार बनाया है, परन्तु राजस्थान सरकार के खिलाफ दावा पेश करने से पूर्व नोटिस 2 माह धारा 80 जा० दी० दिया जाना आवश्यक होता है। लेकिन दावा अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण नोटिस नही दिया जा सका है। इसलिए नोटिस दिये जाने से माफी चाहने हेतु अलग से धारा 80 (2) जा० दी० का प्रार्थना पत्र दावा के साथ अलग से पेश है।

अतः वाद वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

(अ) यह है कि डिकी इश्तकरारहक मय दूरूस्ती इस अमर की पारित की जावे कि खं0 नं0 541/274 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा से पैमूद हाल खं0 नं0 342 रकबा 0.12 है0, खं0नं0 343 रकबा 0.13 है0, वाके ग्राम रूंध तह0 मुण्डावर में खं0 नं0 541/274 का रकबा 6 बिस्वा, खं0 नं0 342 रकबा 0.12 है0, में मिलाया जाकर, मिन वादी को रकबा 6 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, इसी प्रकार से राजस्व रिकॉड में मिन वादी के नाम का अंकन दर्ज किया जाकर, प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज 19 बिस्वा में से 17 बिस्वा का अंकन दर्ज किया जाकर, राजस्व रिर्कोड दूरूस्त फरमाया जावे।

(ब) यह है कि डिकी दखलयावी की इस प्रकार से पारित की जाकर, आराजी हाल खं०नंम्बर 342 के रकबा 6 बिस्वा वाके ग्राम रूघ तह0 मुण्डावर से प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर, मिन वादी को आराजी पर दखल दिलाई ।

(स) यह है कि डिकी हु0 ई0 दवामी से प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि वो वादपत्र के पैरा सं0 1 में दर्ज आराजी को कही रहन, वैय, हिबा इत्यादि से मुन्तकिल ना करे, ना ही मिन वादी को आराजी से बेदखल करे, ना ही मिन वादी के काश्त कार्य में मजाहमत पैदा करे, व रिर्कोड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

(द) यह है कि खर्चा मुकदमा मिन वादी को प्रतिवादीगण सं0 1 से दिलाया जावे।

(य) अन्य दादरसी बनजदीक अदालत श्रीमान उचित समझे बख्सी जावे।

वादी का वाद को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की विधिवंत रूप से तामिल करवाई गई, प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/3 की ओर से जबाव दावा प्रस्तुत किया गया जो इस प्रकार है कि

1. यह है कि पैरा स0 1 इतना स्वीकार है कि जिम्मन में वर्णीत आराजी वाके ग्राम संध तह0 मुण्डावर में स्थित है। बाकी पैरा गलत है, स्वीकार नही है। आराजी किसी भी प्रकार से विवादित नही है।
2. यह है कि पैरा स० 2 सही है, स्वीकार है।
3. यह है कि पैरा स० 3 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नही है। वादी ने जिम्मन हाजा में मिथ्या तथ्य दर्ज किया है तथा मिन वादी को प्रतिवादी द्वारा आराजी खरीद की कोई जानकारी नही रही है।
4. यह है कि पैरा स० 4 इस प्रकार स्वीकार है कि वादी ने दिनांक 15/3/72 को आराजी ख0न0 541/272 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा में से 17 बिस्वा आराजी का बेचान जरियें रजिस्टेंड वैयनामा के मिन प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

के पिता प्रभूदयाल को कर दिया तथा मौके पर हमप्रतिवादीगण के पिता को रकबा 17 बिस्वा पर कब्जा दे दिया गया।

5. यह है कि पैरा स0 5 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नही है। वादी ने जिम्मन हाजा में मिथ्या तथ्य दर्ज किया है, जबकी वास्तविकता तो यह है कि मिन प्रतिवादीगण के पिता द्वारा गत ख0न0 541/272 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा में से रकबा 17 बिस्वा खरीद किया था तथा वक्त सैटलमेंट राजस्व कर्मचारियों द्वारा ख0न0 541/274 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा से हाल ख0न0 342 रकबा 10 बिस्वा व ख0न0 343 रकबा 7 बिस्वासे पैमूद किया गया है, जो सही पैमूद किया गया है तथा साबिक ख0न0 275 का कोई 2 बिस्वा रकबा नही मिलाया गया है तथा ख0न0 541/274 का रकबा 6 बिस्वा किसी भी प्रकार ख0न0 342 में नही मिलाया, यदि उक्त 6 बिस्वा रकबा उक्त ख0न0 342 में मिलाया जाता तो ख0न0 342 का रकबा कम नही होता, जिससे साफ है कि वादी को राजस्व रिकॉड की कतई जानकारी नहीं है। इसलिए वाद वादी काबिले खारीज है।

6. यह है कि पैरा स० 6 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकाकर नही है। सैटलमेंट के बाद कथित दिनांक को राजस्व कर्मचारियो द्वारा मिन प्रतिवादीगण के पिता के नाम का अंकन सही दर्ज किया है, किसी भी प्रकार से मिन प्रतिवादी के पिता के नाम रकबा अधिक दर्ज नहीं किया है तथा ना ही वादी द्वारा कही भी यह दर्ज नही किया है कि मिन प्रतिवादीगण के पिता के नाम कोनसा ख0 न0 में रकबा अधिक दर्ज किया है, तथा वादी किस ख०न० में रकबा 6 बिस्वा कम कराकर, आराजी ख0न0 342 में जुडवाना चाहता है। इसलिए वादी का वाद गलत होने के कारण काबिल खारीज है। खारीज है। खारीज फरमाया जावे।

7. यह है कि पैरा स० 7 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नही है। वादी ने जिम्मन में समस्त तथ्य मिथ्या दर्ज किया है, तथा वादी द्वारा जिम्मन में कितना अधिक व कितना रकबा कम दर्ज किया है, के बाबत दर्ज नही किया है तथा मिन प्रतिवादी स० 1 ने अपनी खरीदशुद्धा आराजी में से 10 बिस्वा रकबा का बेचान कर दिया तथा केता को दावा में पक्षकार नही बनाया गया है। जो आवश्यक पक्षकार है। इसलिए वादी का वाद चलने योग्य नही है।

8. यह है किं पैरा स0 8 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नहीं है। वादी ने जिम्मन हाजा में समस्त तथ्य मिथ्या व मनघंडत दर्ज किया है, जबकी मिन प्रतिवादीगण के पिता द्वारा वादी से आराजी का रकबा 17 बिस्वा खरीद किया गया था तथा मिन प्रतिवादीगण का पिता अपने खरीदशुद्धा भाग पर काबिज रहा है तथा मिन प्रतिवादी को वादी के राजस्व रिकॉड की जानकारी नही है तथा वादी ने कथित दिनांक की कहानी मिथ्या व मनघंडत दर्ज की है तथा वादी किसी भी प्रकार से मिन प्रतिवादी को आराजी से बेदखल कराकर, आराजी पर दखल पाने का अधिकारी नही है। वाद वादी काबिले खारीज है। खारीज फरमाया जावे।

9. यह है कि पैरा स० 9 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नही है। वादी ने कथित दिनांक की कहानी मिथ्या व मनघंडत

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

दर्ज की है, जबकी मिन प्रतिवादी स० 1 अपनी खरीदशुद्वा आराजी पर काबिज है तथा मिन प्रतिवादी स० 1 द्वारा किसी भी प्रकार से वादी के हिस्से की आराजी पर कब्जा नही किया जा रहा है तो कथित दिनांक को मिन प्रतिवादी स० 1 द्वारा धमकी देने का सवाल ही पैदा नही होता है तथा वादी के कोई हक व अधिकार कानून द्वज्ञरा रक्षित नहीं है, इसलिए वादी किसी भी प्रकार से मिन प्रतिवादी को हु० ई० दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी नहीं हैं।

10. यह है कि पैरा स० 10 गलत है, स्वीकार नही है। वादी को कथित दिनांक को कोई विनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा नही होती है। वादी का वाद बेरून मियाद होकर काबिल खारीज है। खारीज फरमाया जावे।
11. यह है कि पैरा स0 11 गलत है, स्वीकार नही है। वादी ने दावा में राज० सरकार जरियें तहसीलदार मुण्डावर को पक्षकार बनाया है, परन्तु सरकार के खिलाफ वाद पेश करने से पूर्व नोटिस 2 माह धारा 80 जा०दी० दिया जाना आवश्यक होता है तथा वादी ने बिना नोटिस दिये ही वाद पेश किया है।

अतः जवाब दावा पेशकर निवेदन है कि वादी का वाद मंय हर्जा खर्चा खर्चा खारीज फरमाया जावे।

वादी के वाद पत्र, प्रतिवादीगण के जबाव दावा व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार नीचे विर्णित तनकी कायम की गई। जो निम्न प्रकार से है कि :–

1. आया विवादित आराजीयात गफूर पपुत्र कालिया तेली के कब्जे काश्त की आराजी रही है। जिसको वादी ने जर्ये बैयनामा के क्रय किया है।
   –: जिम्मे वादी
2. आया वक्त सैटलमेण्ट राजस्व कर्मचारियो द्वारा खसरा नम्बर 541/274 का रकबा 6 बिस्वा को मौका पर खसरा नम्बर 342 में शामिल कर खसरा नम्बर 342 का रकबा कम कर दिया।
   –: जिम्मे वादी
3. आया आराजी खसरा नम्बर 541/274 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा से पैमूद हाल खसरा नम्बर 342 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 343 रकबा 0.13 है0 वाके ग्राम रूंध तहसील मुण्डावर में आराजी खसरा नम्बर 541/274 का रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 0.12 है0 में मिलाया जाकर रकबा 06 बिस्वा का खातेदार दर्ज कराने का वादी अधिकारी है।
   –: जिम्मे वादी
4. आया खसरा नम्बर 541/247 का रकबा 6 बिस्वा किसी भी प्रकार खसरा 342 में नही मिलाया गया है।
   –: जिम्मे वादी
5. आया प्रतिवादीगण वाद वादीगण को खारिज कराने के अधिकारी है।
   –: जिम्मे प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

वादी ने अपने दावे के समर्थन में पीडब्लू–1 सुरेश चन्द्र, पीडब्लू–2 महेन्द्र सिंह, पीडब्लू–3 पृथ्वीसिंह के शपथ पत्र पेश किये गये। वादी ने अपने वाद के समर्थन में प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2069–72, प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत 2069–72 खाता संख्या 251, प्रदर्श–3 जमाबन्दी सम्वत 2069–72 खसरा नम्बर 342, 343, प्रदर्श–4 जमाबन्दी सम्वत 2069–72 खसरा संख्या 351, प्रदर्श–5 नकल ट्रेस नक्शा सम्वत 2029–48 खसरा नम्बर 343, 348, प्रदर्श–6 जमाबन्दी सम्वत 2013, प्रदर्श–7 खतोनी भू–प्रबंध विभाग सम्वत 2029, प्रदर्श– 8 जमाबन्दी सम्वत 2035, प्रदर्श–9 मिलान क्षेत्रफल 2029, प्रदर्श–10 प्रमाण पत्र दिनांक 17.08.2015 ग्राम पंचायत ततारपुर, प्रदर्श–11 इन्तकाल नम्बर 05 ग्राम रूंध, प्रदर्श–12 खतोनी भू–प्रबंध विभाग सम्वत 2029, प्रदर्श–13 बैयनामा दिनांक 15.03.1972, प्रदर्श–14 बैयनामा दिनांक 23.04.1962, प्रदर्श–15 मृत्यु प्रमाण पत्र श्रीराम पुत्र लक्ष्मीनारायण, प्रदर्श–16 मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2069, प्रदर्श–17 जमाबन्दी सम्वत 2076–79, प्रदर्श–18 जमाबन्दी सम्वत 2076–79 दस्तावेजात पेश किये गये है।

प्रतिवादीगण ने अपने जबाव के समर्थन में डीडब्लू–1 संजय कुमार पुत्र प्रभूदयाल, डीडब्लू–2 मोहित कुमार पुत्र राजकुमार के शपथ पत्र पेश किये गये है।

माननीय न्यायालय के समक्ष वादी पक्ष की ओर से निम्न प्रकार से निवेदन है :
–

1. वाद का संक्षिप्त तथ्य
यह कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 342 रकबा 0.12 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 343 रकबा 0.13 हैक्टेयर ग्राम रूंध, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजी मूलतः गफूर पुत्र कालिया तेली के कब्जेकाश्त की रही, जिसे वादी के पूर्वज श्रीलाल उर्फ श्रीराम ने दिनांक 23.04.1962 को विधिवत रजिस्टर्ड बैयनामा द्वारा क्रय किया था। इस क्रय के पश्चात वादी के नाम से राजस्व अभिलेखों में विधिवत अंकन दर्ज हुआ तथा वादी खातेदार काश्तकार बन गया। इसके पश्चात वादी ने दिनांक 15.03.1972 को उक्त भूमि में से 17 बिस्वा भूमि प्रतिवादी प्रभूदयाल को रजिस्टर्ड बैयनामा द्वारा विक्रय कर दी तथा मौके पर कब्जा भी सौंप दिया। अर्थात प्रतिवादी को केवल 17 बिस्वा भूमि का ही स्वामित्व एवं कब्जा प्राप्त हुआ था।

2. सैटलमेंट के समय हुई त्रुटि
वाद का मुख्य विवाद यह है कि सैटलमेंट कार्यवाही के दौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा गंभीर त्रुटि की गई।
सैटलमेंट के समय –खसरा नम्बर 541/274 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा से वर्तमान खसरा नम्बर 342 (10 बिस्वा) और 343 (7 बिस्वा) पैमूद किये गये। किन्तु उसी समय 6 बिस्वा भूमि जो मूल खसरा नम्बर 541/274 की थी, उसे मौके पर खसरा नम्बर 342 में शामिल कर दिया गया, जबकि उसका अंकन वादी के नाम होना चाहिए था।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

इसके विपरीत प्रतिवादी के नाम 17 बिस्वा के स्थान पर गलत तरीके से 19 बिस्वा अंकित कर दिया गया, जो कि पूर्णतः मौके के विपरीत एवं कानून के विपरीत है।

3. वादी के कब्जे का प्रमाण
वादी ने न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट किया है कि विवादित भूमि के 6 बिस्वा पर वादी का ही वास्तविक कब्जा रहा है। वादी निरंतर उस भूमि की काश्त करता रहा है। इस तथ्य की पुष्टि निम्न दस्तावेजों से होती है– जमाबन्दी सम्वत 2069–72 (प्रदर्श–1, 2, 3), जमाबन्दी सम्वत 2035 (प्रदर्श–8), मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श–9, 16), बैयनामा दिनांक 23.04.1962 (प्रदर्श–14), बैयनामा दिनांक 15.03.1972 (प्रदर्श–13), इन दस्तावेजों से यह पूर्णतः सिद्ध होता है कि वादी भूमि का वैध स्वामी था। प्रतिवादी को केवल 17 बिस्वा भूमि ही बेची गई थी।

4. प्रतिवादी द्वारा जबरन कब्जा
वादी को लंबे समय तक राजस्व रिकॉर्ड की त्रुटि की जानकारी नहीं थी क्योंकि वह मौके पर काबिज था। किन्तु दिनांक 13.07.2015 को प्रतिवादी ने गलत राजस्व रिकॉर्ड का लाभ उठाकर वादी की भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया। जब वादी ने विरोध किया तो प्रतिवादी ने स्पष्ट कहा कि "राजस्व रिकॉर्ड में तुम्हारा नाम नहीं है, इसलिए मैं कब्जा नहीं छोड़ूंगा।" इसके बाद वादी ने राजस्व रिकॉर्ड की नकल प्राप्त की और त्रुटि का पता चला। वादी ने 16.09.2015 को प्रतिवादी से रिकॉर्ड ठीक कराने का अनुरोध किया, परन्तु प्रतिवादी ने मना कर दिया और भूमि बेचने की धमकी दी।

5. प्रतिवादी का जवाब असत्य
प्रतिवादी ने अपने जवाब में वादी के दावे को असत्य बताया है, किन्तु प्रतिवादी ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि 15.03.1972 को 17 बिस्वा भूमि का बैयनामा हुआ था। अतः यह तथ्य निर्विवाद है कि प्रतिवादी को केवल 17 बिस्वा भूमि ही बेची गई थी। इस प्रकार प्रतिवादी का 19 बिस्वा भूमि पर अधिकार का दावा स्वतः असत्य सिद्ध होता है।

6. आवश्यक पक्षकार का प्रश्न
प्रतिवादी ने यह भी कहा है कि भूमि के एक भाग के क्रेता को पक्षकार नहीं बनाया गया। किन्तु वादी ने स्पष्ट किया है कि उसे उस क्रेता से कोई राहत नहीं चाहिए। वादी केवल अपने 6 बिस्वा हिस्से के अधिकार की घोषणा चाहता है। अतः वह आवश्यक पक्षकार नहीं है।

7. वाद समय सीमा के भीतर
प्रतिवादी ने वाद को बेरून मियाद बताया है, जो कि गलत है। क्योंकि वादी को गलत अंकन की जानकारी 13.07.2015 को हुई। उसी कारण से वाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार वाद अवधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

8. कानून का प्रावधान
वादी का वाद निम्न धाराओं के अंतर्गत पूर्णतः पोषणीय है– धारा 88 – खातेदारी अधिकार की घोषणा, धारा 89 – राजस्व अभिलेखों की दुरुस्ती धारा 188 – स्थायी निषेधाज्ञा, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार यदि राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटि हो और वास्तविक अधिकार किसी अन्य व्यक्ति का हो तो न्यायालय उसे दुरुस्त कर सकता है।

9. साक्ष्य से सिद्ध तथ्य
वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजों से निम्न तथ्य सिद्ध होते हैं भूमि मूलतः गफूर पुत्र कालिया तेली की थी, वादी ने उसे 1962 में क्रय किया प्रतिवादी को केवल 17 बिस्वा भूमि बेची गई, सैटलमेंट में त्रुटि हुई, प्रतिवादी के नाम 19 बिस्वा का गलत अंकन हुआ, वादी का 6 बिस्वा भूमि पर वास्तविक अधिकार है।

प्रार्थना
अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि वादी के पक्ष में डिक्री इश्तकरारहक मय दूरूस्ती पारित की जावे। खसरा नम्बर 342 में 6 बिस्वा भूमि वादी के नाम दर्ज की जावे। प्रतिवादी के नाम दर्ज 19 बिस्वा में से 17 बिस्वा ही दर्ज किया जावे। विवादित भूमि से प्रतिवादी को बेदखल कर वादी को कब्जा दिलाया जावे। प्रतिवादी को भूमि बेचने या हस्तांतरित करने से स्थायी रूप से रोका जावे। मुकदमे का खर्च प्रतिवादी से दिलाया जावे।

माननीय न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण की ओर से निम्न निवेदन किया जाता है

1. वादी का वाद तथ्यहीन एवं असत्य है
वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पूर्णतः मिथ्या, मनगढ़ंत एवं निराधार तथ्यों पर आधारित है। वादी ने न्यायालय को भ्रमित करने के उद्देश्य से तथ्य तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किये हैं। वास्तविक स्थिति यह है कि वादी ने स्वयं स्वीकार किया है कि दिनांक 15.03.1972 को खसरा नम्बर 541/274 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा में से 17 बिस्वा भूमि का रजिस्टर्ड बैयनामा प्रतिवादी के पिता प्रभूदयाल के नाम किया था। उक्त बैयनामा के साथ ही मौके पर कब्जा भी प्रतिवादी के पिता को दे दिया गया था। अतः प्रतिवादीगण का कब्जा वैध एवं विधिसम्मत है।

2. सैटलमेंट रिकॉर्ड पूर्णतः सही है
वादी ने यह आरोप लगाया है कि सैटलमेंट के समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा 6 बिस्वा भूमि गलत तरीके से खसरा नम्बर 342 में शामिल कर दी गई। यह कथन पूर्णतः गलत है। प्रतिवादी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सैटलमेंट के समय राजस्व अधिकारियों ने सही पैमाइश एवं पैमूद किया। खसरा नम्बर 541/274 से खसरा नम्बर 342 (10 बिस्वा) तथा खसरा नम्बर 343 (7 बिस्वा) पैमूद किये गये। इस प्रकार कुल 17 बिस्वा भूमि का ही रिकॉर्ड तैयार हुआ, जो प्रतिवादी के पिता द्वारा खरीदी गई भूमि के बराबर है। यदि वादी का कथन सही होता कि 6 बिस्वा भूमि अतिरिक्त मिलाई गई, तो खसरा नम्बर 342

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

का क्षेत्रफल कम नहीं बल्कि अधिक होना चाहिए था। यह स्वयं वादी के कथन का विरोधाभास है।

3. वादी अपने कथन को सिद्ध नहीं कर पाया
वादी ने दावा किया है कि खसरा नम्बर 541/274 की 6 बिस्वा भूमि खसरा नम्बर 342 में मिलाई गई। किन्तु वादी ने यह स्पष्ट नहीं किया, वह 6 बिस्वा भूमि किस खसरा नम्बर से कम हुई, किस आधार पर उसे खसरा नम्बर 342 में जोड़ा जाना चाहिए, अतः वादी का दावा अस्पष्ट, अपूर्ण एवं प्रमाणहीन है।

4. आवश्यक पक्षकार को वाद में शामिल नहीं किया गया
वादी ने अपने वाद में स्वयं स्वीकार किया है कि प्रतिवादी ने अपनी भूमि में से 10 बिस्वा भूमि का विक्रय कर दिया है। किन्तु वादी ने उस क्रेता को वाद में पक्षकार नहीं बनाया। जबकि वह व्यक्ति इस वाद का अत्यन्त आवश्यक पक्षकार है। बिना आवश्यक पक्षकार को शामिल किये वाद चलना कानूनी रूप से संभव नहीं है, अतः वाद दोषपूर्ण है।

5. वाद समय सीमा से बाहर है
वादी का कथन है कि उसे वर्ष 2015 में गलत अंकन की जानकारी हुई। किन्तु यह कथन अविश्वसनीय है क्योंकि सैटलमेंट के बाद से राजस्व रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहता है। वादी को दशकों से राजस्व रिकॉर्ड देखने का अवसर था। यदि वास्तव में कोई त्रुटि होती तो वादी को बहुत पहले जानकारी हो जाती। अतः वादी का वाद स्पष्ट रूप से बेरून मियाद (Time barred) है।

6. वादी का कब्जा सिद्ध नहीं हुआ
वादी ने यह दावा किया है कि वह 6 बिस्वा भूमि पर काबिज था। किन्तु वादी ने किसी स्वतंत्र गवाह से, किसी राजस्व रिकॉर्ड से, यह सिद्ध नहीं किया कि वह उस भूमि पर काबिज था। इसके विपरीत प्रतिवादीगण के पिता प्रभूदयाल खरीदशुदा भूमि पर लगातार काबिज रहे हैं।

7. वादी का साक्ष्य अविश्वसनीय है
वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य – पीडब्लू–1 सुरेश चन्द्र, पीडब्लू–2 महेन्द्र सिंह, पीडब्लू–3 पृथ्वीसिंह इनमें से कोई भी गवाह घटना का प्रत्यक्ष साक्षी नहीं है। इसी प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज– जमाबन्दी, ट्रेस नक्शा, मिलान क्षेत्रफल, इनसे कहीं भी यह सिद्ध नहीं होता कि 6 बिस्वा भूमि वादी की है।

8. प्रतिवादी का साक्ष्य
प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत गवाह डीडब्लू–1 संजय कुमार, डीडब्लू–2 मोहित कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रतिवादी के पिता प्रभूदयाल ने 17 बिस्वा भूमि खरीदी थी। उसी भूमि पर उनका लगातार कब्जा रहा है
उनके बयान विश्वसनीय एवं प्राकृतिक हैं।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

9. वादी का वाद कानूनन पोषणीय नहीं
वादी ने यह वाद धारा 88, धारा 89, धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। किन्तु जब वादी अपने अधिकार को ही सिद्ध नहीं कर पाया, तब खातेदारी घोषणा, रिकॉर्ड दुरुस्ती, स्थायी निषेधाज्ञा का कोई आधार ही नहीं बचता।

10. वाद दुर्भावना से प्रस्तुत किया गया
प्रतिवादीगण का स्पष्ट कथन है कि वादी ने कई वर्षों बाद झूठा वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण की खरीदशुदा भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया है। यह वाद दुर्भावना एवं अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना
अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि वादी का वाद निराधार एवं असत्य होने के कारण खारिज किया जावे। वाद को बेरून मियाद एवं आवश्यक पक्षकार के अभाव में भी खारिज किया जावे। मुकदमे का समस्त खर्च वादी से दिलाया जावे। न्यायालय उचित समझे तो अन्य राहत भी प्रतिवादीगण को प्रदान की जावे।

विवेचन
वाद पत्र, प्रतिवादीगण के जवाब दावा, प्रस्तुत दस्तावेजात एवं पक्षकारों द्वारा पेश साक्ष्यों का अवलोकन तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का सम्यक् परीक्षण करने पर निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जाना आवश्यक है।

तनकी संख्या 1, 2, 3 एवं 4 पर विचार
वादी का मुख्य कथन यह है कि मूल खसरा नम्बर 541/274 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा की भूमि वादी के पूर्वज द्वारा दिनांक 23.04.1962 के रजिस्टर्ड बैयनामा द्वारा क्रय की गई थी। तत्पश्चात वादी द्वारा दिनांक 15.03.1972 को उक्त भूमि में से 17 बिस्वा भूमि प्रतिवादी प्रभूदयाल के पक्ष में विक्रय की गई। वादी का यह भी कथन है कि सैटलमेंट कार्यवाही के दौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटिवश 6 बिस्वा भूमि खसरा नम्बर 342 में सम्मिलित कर दी गई तथा प्रतिवादी के नाम 17 बिस्वा के स्थान पर 19 बिस्वा अंकित कर दिया गया।

वादी ने अपने कथन के समर्थन में प्रदर्श–13 बैयनामा दिनांक 15.03.1972, प्रदर्श–14 बैयनामा दिनांक 23.04.1962, जमाबन्दीयाँ, मिलान क्षेत्रफल तथा ट्रेस नक्शा आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

दूसरी ओर प्रतिवादीगण का कथन है कि सैटलमेंट के समय भूमि का पैमूद सही प्रकार से किया गया तथा प्रतिवादी के पिता द्वारा खरीदी गई भूमि 17 बिस्वा के अनुरूप ही खसरा नम्बर 342 एवं 343 में दर्ज है। प्रतिवादी का यह

सहायक कलक्टर (फास्ट्रेक)
मुण्डावर (सैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

भी कहना है कि वादी द्वारा कथित 6 बिस्वा भूमि के संबंध में कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अभिलेख पर उपलब्ध मिलान क्षेत्रफल, ट्रेस नक्शा एवं जमाबन्दीयों के परीक्षण से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि मूल खसरा नम्बर 541/274 से पैमूद होकर वर्तमान खसरा नम्बर 342 एवं 343 अस्तित्व में आये। किन्तु रिकॉर्ड का परीक्षण करने पर यह भी परिलक्षित होता है कि क्षेत्रफल के निर्धारण में कुछ असंगति अवश्य रही है।

हालाँकि वादी द्वारा यह पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं किया जा सका कि सम्पूर्ण 6 बिस्वा भूमि उसके हिस्से की है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य इस सीमा तक ही विश्वसनीय प्रतीत होते हैं कि विवादित भूमि में से 2 बिस्वा भूमि का अधिकार वादी पक्ष का सिद्ध होता है।

अतः उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, राजस्व रिकॉर्ड एवं मिलान क्षेत्रफल के सम्यक् परीक्षण से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वादी का दावा 6 बिस्वा के स्थान पर केवल 2 बिस्वा भूमि तक ही सिद्ध होता है। फलस्वरूप यह माना जाना न्यायसंगत है कि खसरा नम्बर 342 में से 2 बिस्वा भूमि पर वादी का अधिकार स्थापित होता है तथा उक्त सीमा तक राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती किया जाना उचित होगा। अतः तनकी संख्या 1, 2, 3 एवं 4 आंशिक रूप से वादी के पक्ष में सिद्ध होती हैं।

तनकी संख्या 5 पर विचार
चूँकि वादी का दावा पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हुआ है तथा केवल आंशिक रूप से सिद्ध हुआ है, अतः प्रतिवादीगण वाद को पूर्णतः खारिज कराने के अधिकारी नहीं हैं। परन्तु वाद आंशिक रूप से सिद्ध होने के कारण वादी को सीमित राहत प्रदान की जाना न्यायोचित है। अतः तनकी संख्या 5 आंशिक रूप से प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णयित की जाती है।

निर्णय

वाद पत्र, प्रतिवादीगण के जवाब दावा, पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य तथा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त सामग्री का सम्यक् परीक्षण एवं उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय निम्न आदेश पारित करता है –

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। यह घोषित किया जाता है कि ग्राम रूंध, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर स्थित खसरा नम्बर 342 में से रकबा 02 (दो) बिस्वा भूमि पर वादीगण का खातेदारी अधिकार सिद्ध होता है।

अतः आदेशित किया जाता है कि खसरा नम्बर 342 में से 02 बिस्वा भूमि वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाकर आवश्यक दुरुस्ती की जावे

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (मौ०स्थल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

तथा शेष भूमि का अंकन यथावत रखा जावे। यदि उक्त 02 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जावे, तो उन्हें उक्त भूमि से बेदखल कर वादीगण को कब्जा दिलाया जावे।

प्रतिवादीगण को इस आदेशित भूमि के संबंध में वादीगण के खातेदारी अधिकार एवं काश्त कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। वादी का शेष दावा, जो 06 बिस्वा भूमि के संबंध में किया गया था, साक्ष्य के अभाव में अस्वीकार किया जाता है। पक्षकार अपने-अपने व्यय स्वयं वहन करेंगे। डिक्री तैयार की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 06.03.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
(खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

वाद संख्या
534 / 2020

दायर दिनांक
28.10.2020

पर्चा डिकी दिनांक
06.03.2026

बउनवान

1. श्रीलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण (मृतक)
1/1 रमेशचन्द
1/2 सुरेशचन्द
1/3 नरेश कुमार
1/4 दिनेश कुमार
1/5 मोहनलाल गुप्ता
1/6 नरेन्द्र कुमार पुत्रान श्रीलाल उर्फ श्रीराम जाति महाजन निवासी ततारपुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:– वादी

बनाम

1. प्रभूदयाल पुत्र परसराम (मृतक)
1/1 राजकुमार
1/2 कृष्ण
1/3 होशियार
1/4 पूरण
1/5 संजय पुत्रान प्रभूदयाल
1/6 कान्ता देवी
1/7 मान्ता देवी
1/8 बिमला देवी
1/9 सुमन देवी
1/10 टीमा देवी
1/11 कमला देवी
1/12 सुनीता देवी पुत्रीयान प्रभूदयाल जाति जागिड निवासी बेहरोज हाल आबाद ततारपुर चौहाराया तह0 मुण्डावर, अलवर।
2. लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय महो0 मुण्डावर।
3. उप पंजियक महोदय मुण्डावर।

प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक, दूरूस्ती इन्द्राज एवं हु0 ई0 दवामी अन्तर्गत
अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से **श्री पृथ्वीसिंह यादव एडवोकट व** प्रतिवादी की ओर से श्री सरजीत सिंह चौधरी एडवोकट की उपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 06.03.2025**

सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

को **सृष्टि जैन सहायक कलक्टर मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश हुआ। वादी के वाद को **पर्चा डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है :–**

यह घोषित किया जाता है कि ग्राम रूंध, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर स्थित खसरा नम्बर 342 में से रकबा 02 (दो) बिस्वा भूमि पर वादीगण का खातेदारी अधिकार सिद्ध होता है।

अतः आदेशित किया जाता है कि खसरा नम्बर 342 में से 02 बिस्वा भूमि वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाकर आवश्यक दुरुस्ती की जावे तथा शेष भूमि का अंकन यथावत रखा जावे। यदि उक्त 02 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जावे, तो उन्हें उक्त भूमि से बेदखल कर वादीगण को कब्जा दिलाया जावे।

प्रतिवादीगण को इस आदेशित भूमि के संबंध में वादीगण के खातेदारी अधिकार एवं काश्त कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। वादी का शेष दावा, जो 06 बिस्वा भूमि के संबंध में किया गया था, साक्ष्य के अभाव में अस्वीकार किया जाता है। पक्षकार अपने–अपने व्यय स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06.03.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन) सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
सहायक कलक्टर मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

Scanned with OKEN Scanner